HRA AN USIUM The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683] No. 683] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2009/अग्रहायण 10, 1931

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2009/AGRAHAYANA 10, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई एम खण्ड)

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 10 नवम्बर, 2009

सं. फेमा 202/2009-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 851(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के परंतुक (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।

 (ii) जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों के प्रावधान नीचे विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू होंगे।

2. संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/आरबी-2000) (इसके बाद से 'मूल विनियमावली' के नाम से निर्दिष्ट) में एक नया विनियम 12 अंत:सिम्मिलित किया गया है और यह समझा जाएगा कि उसे 11 जुलाई, 2008 से अंत:सिम्मिलत किया गया हो, अर्थात्:—

"12. भारत में निगमित कम्पनी के शेयर गिरवी रखना

(i) भारत में पंजीकृत कम्पनी (उधारकर्ता कंपनी) जिसने वाह्य वाणिज्यिक उधार लिया है, के प्रवर्तक होने के कारण कोई व्यक्ति भारत में पंजीकृत उधारकर्ता कम्पनी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) सुरक्षित करने के प्रयोजन से उक्त कंपनी अथवा उसकी सहयोगी नियासी कम्पनियों के शेयर गिरवी रख सकता है;

बशर्ते कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई शेयर गिरवी नहीं रखेगा जब तक कि वह उस बैंक जो कि उधारकर्ता कंपनी का प्राधिकृत व्यापारी है, से 'आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र' प्राप्त नहीं कर लेता है। (iii) कोई बैंक, जो प्रधिकृत व्यापारी है, निम्नलिखित बातों से संतुष्ट होने पर परंतुक (i) के तहत शेयर गिरवी रखने के लिए 'आपित्त नहीं प्रमाणपत्र' प्रदान कर सकता है:

> (क) अंतर्निहित बाह्य वाणिज्य उधार के लिए मौजूदा बाह्य वाणिज्य उधार दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

4367 GI/2009

- (ख) ऋण करार पर उधारदाता और उधारकर्ता दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं,
- (ग) ऋण करार में जमानत खंड रखा गया है जिससे उधारकर्ता को वित्तीय प्रतिभृतियों पर प्रभार निर्मित करना अपेक्षित है, और
- (घ) उधारकर्ता ने रिजर्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) प्राप्त की है। बशर्ते कि बैंक, जो प्राधिकृत व्यापारी हो, द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र' प्रदान किया जाए, अर्थात्:—
 - (क) इस प्रकार की गिरवी की अवधि तथा अंतर्निहित बाह्य वाणिज्य उधार की परिपक्वता अवधि एक ही हो;
 - (ख) गिरवी लागू करने की स्थिति में, अंतरण वर्तमान विदेशी निवेश नीती और रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार होना चाहिए;
 - (ग) सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि उधारकर्ता कम्पनी बाह्य वाणिज्य उधार की आगम राशि का उपयोग अनुमत प्रयोजन/प्रयोजनों के लिए ही करेगी/किया है।"
- 3. सारणी 5 में संशोधन.—मूल विनियमावली की अनुसूची 5 के पैराग्राफ 1 में, मौजूदा परंतुक (i) और (ii) हटा दिए जाएंगे और परंतुक (iii) और (iv) को पुन: क्रमश: (i) और (ii) नंबर दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि ये नंबर 17 अक्तूबर, 2008 से दिए गए हैं।

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-जिल्द IV] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-(i) मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 8 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 406(अ) में प्रकाशित हुई है और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई है :-

सं सा.का.नि. 158(अ), दिनांक 02-03-2001 सं सा.का.नि. 175(अ), दिनांक 13-03-2001 सं सा.का.नि. 182(अ), दिनांक 14-03-2001 सं सा.का.नि. 4(अ), दिनांक 02-01-2002 सं सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 19-08-2002 सं सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 18-03-2003 सं सा.का.नि. 225(अ), दिनांक 18-03-2003 सं सा.का.नि. 558(अ), दिनांक 22-07-2003 सं सा.का.नि. 835(अ), दिनांक 23-10-2003 सं सा.का.नि. 899(अ), दिनांक 22-11-2003 सं सा.का.नि. 12(अ), दिनांक 07-01-2004

सं. सा.का.नि. 278(अ), दिनांक 23-04-2004 सं. सा.का.नि. 454(अ), दिनांक 16-07-2004 सं. सा.का.नि. 625(अ), दिनांक 21-09-2004 सं. सा.का.नि. 799(अ), दिनांक 08-12-2004 सं. सा.का.नि. 201 (अ), दिनांक 01-04-2005 सं. सा.का.नि. 202(अ), दिनांक 01-04-2005 सं. सा.का.नि. 504(अ), दिनांक 25-07-2005 सं. सा.का.नि. 505(अ), दिनांक 25-07-2005 सं. सा.का.नि. 513(अ), दिनांक 29-07-2005 सं. सा.का.नि. 738(अ), दिनांक 22-12-2005 सं. सा.का.नि. 29(अ), दिनांक 19-01-2006 सं. सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 11-07-2006 सं. सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 14-11-2007 सं. सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 14-11-2007 सं. सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 29-11-2007 सं. सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 05-08-2008 सं. सा.का.नि. 896(अ), दिनांक 30-12-2008

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs) (E. M. SECTION)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department) (CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th November, 2009

No. FEMA 202/2009-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 851(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

1. Short Title and Commencement—

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Lssue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2009.
- (ii) Save as otherwise provided in these Regulations, the provisions of these Regulations shall be deemed to have come into force with effect from the dates specified hereunder.

"12 Pledge of shares of company incorporated in India-

effect from 11th day of July, 2008, namely:

(i) Any person being a promoter of a company registered in India (borrowing company), which has raised external commercial borrowing, may pledge the shares of the borrowing company or that of its associate resident companies for the purpose of securing the external commercial borrowing (ECB) raised by the borrowing company:

Provided that no person shall pledge any such share unless no-objection has been obtained from a bank which is an authorised dealer.

- (ii) A bank which is an authorised dealer may grant 'no objection' for pledge of shares under clause(i) after satisfying itself of the following:
 - (a) the underlying ECB is strictly in compliance with the extant ECB guidelines,
 - (b) the loan agreement has been signed by both the lender and the borrower,
 - (c) there exists a security clause in the Loan Agreement requiring the borrower to create charge on financial securities, and
 - (d) the borrower has obtained Loan Registration Number (LRN) from the Reserve Bank: (Amendmment) Rules, 2009.

Provided that the 'no objection' may be granted by a bank which is an authorised dealer subject to the following conditions, namely:—

- (a) the period of such pledge shall be co-terminus with the maturity of the underlying external commercial borrowing;
- (b) in case of invocation of pledge, transfer shall be in accordance with the extant FDI policy and directions issued by the Reserve Bank;
- (c) the Statutory Auditor has certified that the borrowing company will utilise/ has utilised the proceeds of the external commercial borrowing for the permitted end-use/s only."

3. Amendment of Schedule 5.—In Schedule 5 of the Principal Regulations in paragraph 1, the existing provisos (i) and (ii) shall be deleted and provisos (iii) and (iv) shall be renumbered as (i) and (ii), respectively and shall be deemed to have been deleted and renumbered with effect from the 17th day of October, 2008.

भारत का राजपत्र : असाधारण

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV] SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:—(i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

No. G.S.R. 158(E), dated 02-03-2001 No. G.S.R. 175(E), dated 13-03-2001 No. G.S.R. 182(E), dated 14-03-2001 No. G.S.R. 4(E), dated 02-01-2002 No. G.S.R. 574(E), dated 19-08-2002 No. G.S.R. 223(E), dated 18-03-2003 No. G.S.R. 225(E), dated 18-03-2003 No. G.S.R. 558(E), dated 22-07-2003 No. G.S.R. 835(E), dated 23-10-2003 No. G.S.R. 899(E), dated 22-11-2003 No. G.S.R. 12(E), dated 07-01-2004 No. G.S.R. 278(E), dated 23-04-2004 No. G.S.R. 454(E), dated 16-07-2004 No. G.S.R. 625(E), dated 21-09-2004 No. G.S.R. 799(E), dated 08-12-2004 No. G.S.R. 201 (E), dated 01-04-2005 No. G.S.R. 202(E), dated 01-04-2005 No. G.S.R. 504(E), dated 25-07-2005 No. G.S.R. 505(E), dated 25-07-2005 No. G.S.R. 513(E), dated 29-07-2005 No. G.S.R. 738(E), dated 22-12-2005 No. G.S.R. 29(E), dated 19-01-2006 No. G.S.R. 413(E) dated 11-07-2006 No. G.S.R. 712(E), dated 14-11-2007 No. G.S.R. 713(E), dated 14-11-2007 No. G.S.R. 737(E), dated 29-11-2007 No. G.S.R. 575(E), dated 05-08-2008 No. G.S.R. 896(E), dated 30-12-2008

(ii) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.